


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 2014/अग्रहायण 7, 1936

No. 629]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 2014/AGRAHAYANA 7, 1936

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2014

सा.का.नि. 849(अ)—महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963, (1963 का 38) की धारा 124 की उपधारा (1) जो धारा 132 की उप धारा (1) के साथ पठित है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन कोचिन पोर्ट के न्यासी बोर्ड द्वारा बनाए गए कोचिन पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2014 केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है और इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में दिया जाता है ।

उक्त संशोधन विनियम भारत राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

अनुसूची

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2014

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड एतद्वारा निम्न विनियम, कोचिन पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 2010 पर आगे संशोधन लाने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात् :-

(i) इन विनियमों का नाम कोचिन पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा ।

(ii) महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 तथा 132 के उपबन्धों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रकार भारतीय राजपत्र में केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्रकाशित करने की तारीख से ये प्रवृत्त होंगे ।

2. कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 2010 में संलग्न अनुसूची में, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी पद के भर्ती नियम क्रम सं. 1 सतर्कता विभाग के अधीन किया जाएगा :-

4706 GI/2014

(1)

- (i) कॉलम 11 के नीचे दिए गए प्रविष्टियां " प्रतिनियुक्ति द्वारा" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
(ii) कॉलम 12 के नीचे दिए गए प्रविष्टियां निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाए :

" किसी महा पत्तन न्यास में 20,600—46,500 रु (10750—16750 के पुनरीक्षित)के वेतनमान पर ग्रेड में 3 सालों की नियमित सेवा पद धारण करनेवाले अधिकारी से, जिसके अभाव में केन्द्र सरकारी/राज्य सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में समतुल्य पद धारण करनेवाले अधिकारी से प्रतिनियुक्ति द्वारा ।"

[फा. सं. पीआर-12012/2/2011 पीई-1]

एन. मुरुगानन्दम, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :- मुख्य विनियम भारतीय राजपत्र के दिनांक 28-10-2010 के सं. सा.का.नि. 862(अ) द्वारा अधिसूचित किया है ।

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2014

G.S.R. 849(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 124, read with sub section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2014 made by the Board of Trustees for the Port of Cochin and set out in the Schedule annexed to this Notification.

The said regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

COCHIN PORT TRUST

Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2014

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Cochin hereby makes the following regulations to amend the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, namely:—

1. (i) These Regulations may be called the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2014.
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.
2. In the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, in the Schedule, for the post of Dy. Chief Vigilance Officer:—
 - (i) the entries under Column No.11 shall be substituted by the words, "By deputation."
 - (ii) the entries under Column No.12 shall be substituted by the following:—

"Deputation from officers of Major Port Trusts holding posts in the pay scale of Rs. 20,600 -46500 (Rs. 10750-16750 pre-revised) with 3 years regular service in the grade failing which from officers of the Central Government/State Govt./PSUs/Autonomous Bodies with similar grade".

[F. No. PR-12012/2/2011-PE-I]

N. MURUGANANDAM, Jt. Secy.

Foot Note: Principal Regulations published vide No. G.S.R. 862 (E) dt. 28.10.2010.